गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.07.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.07.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
10.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
11.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
12.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **डॉ0 हरीश कुमार कृत शिकायत के संबंध में गठित तथ्यात्मक जॉच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।**

इस प्रकरण में चर्चा के दौरान प्रो. एल.पी. पटैरिया अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में अनुपस्थित रहें।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह अंकित किया कि प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। डॉ0 बी.डी. मिश्रा द्वारा जमा कराये गये शोध पत्रों के संबंध में कतिपय जानकारी प्राप्त हुई है, उस पर एवं कुछ अन्य तथ्यों के प्रकाश में समिति पुनः विचार कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 02 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों के शिकायतों का निवारण) विनियम 2019 को प्रभावी किये जाने के संबंध में अधिष्ठाता छात्रकल्याण/नोडल अधिकारी की अनुशंसा पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता छात्रकल्याण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को आंशिक संशोधनों के साथ सिद्धांतः अनुमोदन किया जाये तथा यह भी

निर्णय लिया गया कि पार्टल बनाने के संबंध में आई.टी. प्रकोष्ठ द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त पोर्टल के संचालन के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अधिष्ठाता छात्रकल्याण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पद क्रमांक III में उल्लेखित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विकास अनुभाग या कोई अन्य अनुभाग / कार्यालय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरांत अधिष्ठाता छात्रकल्याण कार्यालय को सहयोग प्रदान करेंगे।

विषय क्र. 03 **विश्वविद्यालय में CBCS Curriculum एवं EWS लागू होने के कारण कक्षा समय सारणी एवं कक्षाओं के आबंटन/संचालन के संबंध में अधिष्ठाताओं की अनुशंसा पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.07.2019 में कृत अनुशंसाओं पर सैद्यांतिक रूप से अनुमति प्रदान की जाय।

स्थायी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया कि Commerce एवं CSIT विभाग की कक्षाएं ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं वानिकी विभाग के भवनों में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित होगी। उपरोक्त के संबंध में अध्ययनशाला वाणिज्य तथा प्रबंध अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन एवं गणितीय तथा संगणक विज्ञान के अधिष्ठातागण संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक कर संबंधित विभागों की समय सारणी निर्धारित करेंगे। यह समय सारणी दिनांक 29.07.2019 से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र. 01 विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों के विज्ञापन एवं उनके लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार के संबंध में विचार किया गया तथा प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के पदों पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के उम्मीदवारों हेतु आरक्षण प्रावधान में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः उचित आरक्षण रोष्टर निर्धारण होने तक प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के पदों हेतु साक्षात्कार आयोजित न किया जाय एवं इन पदों पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण संबंधी रोष्टर पर पुनर्विचार करने हेतु रोस्टर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**